कौशल विकास संचानालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के पत्र क्रमांक/कौविसं/स्थाप-प्र-/सामा257/2025/368

जबलपुर दिनांक 20.01.2026 के अनुसार नियम क्रमांक 4.6 एवं 7.1 में संशोधन

4.4 **भूतपूर्व सैनिकों के लिए** सभी पदों, व्यवसायों में 10 प्रतिशत पद समस्तर व प्रभागवार (होरिजेन्टल **कम्पार्टमेंट वाइस)** आरक्षित रहेंगें। भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध न होने पर उसी प्रवर्ग के ओपन/महिला **उम्मीदवारों मे (मेरिट** के आधार पर) पदों को भरा जा सकेगा।

4.5 **मध्यप्रदेश शासन, सामान्य** प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-8-2/2013/आ.प्र./एक दिनांक 30 जून **2014 अनुसार निःशक्तजनों** के विज्ञापित पद वर्गवार न होकर निःशक्तजनों की श्रेणीवार (अस्थि **बाधित/दृष्टि बाधित/श्रवण बाधित)** निर्धारित किये गये हैं तथा परिपत्र दिनांक 03/07/2018 द्वारा श्रेणीवार **क्रमशः (1) दृष्टि बाधित और कम** दृष्टि-1.5 प्रतिशत (2) बहरे और कम सुनने वाले-1.5 प्रतिशत (3) **लोकोमोटर डिसेविलिटी जिसमें सम्मिलित है,** सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक **पीडित, मस्कुलर** डिस्ट्राफी-1.5 **प्रतिशत** (4) आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग **डिसेविलिटी और मानसिक बीमारी** और बहुविकलांगता-1.5 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है। **मेरिट अनुसार (ओपन/महिला)** एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./अनारक्षित एवं ईडब्लूएस वर्ग में से जिस वर्ग के **निःशक्तजन का चयन होगा, उसी वर्ग में निःशक्तजनों** के पद समायोजित होंगे। निःशक्तजनों को विकलांगता के आधार पर पद के कृत्यों के संबंध में उपयुक्तता प्रमाण पत्र उपनिदेशक (पुनर्वास) महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण विकलांग व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र (VRC) नेपियर टाऊन जबलपुर से प्राप्त कर दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

4.6 प्रशिक्षण अधिकारी पद सरल क्रमांक **01 से 33 तथा 36 एवं 37** के प्रत्येक व्यवसाय के कुल पदों में से 50 प्रतिशत पद इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों से भरे जावेंगे ।

4.7 यदि किसी व्यवसाय में कुल पदों में से 50 प्रतिशत या अधिक डिग्री/डिप्लोमा धारी उम्मीदवार मेरिट के आधार पर चयनित होते हैं तो फिर 50 प्रतिशत की सीमा को ध्यान में नहीं रखा जावेगा अर्थात मेरिट के आधार पर डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवार 50 प्रतिशत से अधिक चयनित हो सकते हैं। जिस व्यवसाय में 50 प्रतिशत से कम डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवार चयनित होंगे उनमे शेष (चयनित डिग्री/डिप्लोमा को छोड़कर) डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार कर वर्टिकल/होरिजेन्टल आरक्षण की सीमा को ध्यान में रखते हुये डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों का चयन किया जावेगा, भले ही डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवार व्यवसाय की मेरिट सूची में गैर डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों से नीचे हों।

4.8 50 प्रतिशत डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की संख्या किसी व्यवसाय के कुल पदों पर सुनिश्चित की जावेगी। उदाहरण स्वरूप प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रिशियन के विज्ञापित कुल पदों की संख्या 60 है जिसमें अनुसूचित जाति के 09, अनुसूचित जनजाति के 12, अन्य पिछड़ा वर्ग के 16, अनारक्षित के 17 तथा आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्लूएस) के 06 उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। यदि चयन हेतु आयोजित परीक्षा में मेरिट के आधार पर इन 60 में से किसी भी संवर्ग के 30 डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवार उपलब्ध हो जाते हैं जैसे अपिव के 15 एवं अनारक्षित संवर्ग के 15 उम्मीदवार डिग्री/डिप्लोमाधारी उपलब्ध हो जाते हैं तो अजा. एवं अजजा संवर्ग के क्रमशः 09 एवं 12 पदों पर डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों का आरक्षण लागू नहीं होगा ।

4.9 यदि किसी व्यवसाय में 01 पद विज्ञापित है तो वह डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवार से भरा जा सकेगा।

4.10 विषम परिस्थिति में यदि 50 प्रतिशत पर इंजीनिरिंग में डिग्री/डिप्लोमा धारी आवेदक मेरिट में उपलब्ध नहीं होते हैं तो विभाग स्तर पर इस पर निर्णय लिया जायेगा जो कि अंतिम एवं मान्य होगा।

4.11 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 11 जनवरी 2010 एवं संशोधन दिनांक 31 मई 2018 में प्रकाशित नियम 4 ख ''आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबन्ध अनुसार यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोक नगर की

21/1/26 21/01/26

2	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगरसैनिक/ निःशक्तजन/ महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिये	21 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)	18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)

नोट:- सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

टीप 1: परीक्षा केवल म.प्र. के मूल निवासी के लिये। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

7.1 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों **को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली** छूटें:-

(क) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ख) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-18- 85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

7.2 आवेदकों **की आयु सीमा** के संबंध में अन्य विवरण:-

(क) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:- शब्द ''छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

(ख) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:-शब्द ''भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो:-

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्शेसन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,

21/11/26

21/11/26